श्री ललन पासवान, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक-15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-धाम-06 के संबंध में।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री ललन पासवान, सदस्य बिहार विधान सभा	श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखण्ड से 25 कि0मी0 दूरी पर अवस्थित गुप्ता धाम धार्मिक न्यास से नहीं जुड़े होने के कारण दान की राशि स्थानीय लोगों द्वारा हड़प लिया जाता है, यदि हाँ तो सरकार उक्त मंदिर एवं गुफा को न्यास से अधिग्रहित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखण्ड में अवस्थित गुप्ता धाम (गुप्तेश्वर धाम) मंदिर पर्षद में निबंधित नहीं है। अतएव जिला पदाधिकारी, रोहतास को प्राप्त तारांकित प्रश्न के आलोक में मंदिर की वर्त्तमान वस्तु स्थिति तथा प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर जांच कर एक प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। साथ ही पर्षद द्वारा भी इस मंदिर का स्थानीय निरीक्षण कराया जा रहा है ताकि मंदिर के प्रबंधन आदि बिन्दुओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर इसके निबंधन के बारे में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक-एल0आर0टी0-4-06/2018............/जे0, पटना, दिनांक-..............................

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप संख्या-प्र0-3510-11/वि0स0 दिनांक-09.03.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 5 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियाँ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।
कृ0पृ0उ0

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक-15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-धाम-04 के संबंध में।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, सदस्य बिहार विधान सभा	श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार।
प्रश्न	**उत्तर**

क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के गोरेया कोठी प्रखण्ड के गोरेया कोठी में रामजानकी मंदिर है, जिसका निबंधन संख्या-4924 है तथा अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन अबतक प्रबंध समिति का गठन नहीं हुआ है, यदि हाँ तो सरकार कबतक प्रबंध समिति गठित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	श्री राम जानकी मंदिर, गोरेया कोठी, जिला-सिवान पर्षद में निबंधित न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-2943 है। पर्षद में संधारित निबंधन पंजी में अंतिम निबंधन संख्या-4477 है, जो दिनांक-03.02.2018 को हुआ है। अतः निबंधन संख्या-4924, जैसा कि विधान सभा प्रश्न में अंकित है, नहीं हो सकता है। फिर भी चूंकि प्रश्न श्री राम जानकी मंदिर, गोरेया कोठी, जिला-सिवान से संबंधित है, अतः इसके संबंध में अद्यतन स्थिति निम्नवत् है:- श्री राम जानकी मंदिर, गोरेया कोठी, प्रखण्ड-गोरेया कोठी, जिला-सिवान (निबंधन संख्या-2943) के सुचारू प्रबंधन के लिए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-3292, दिनांक-25.03.2017 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज की अध्यक्षता में एक न्यास समिति का गठन किया गया है। साथ ही पर्षदीय पत्रांक-2517 दिनांक-28.02.2018 द्वारा एक न्यास समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद पर चयन संबंधी समिति के निर्णय के अनुमोदन की सूचना भेजी गयी है।

कृ0पृ030

श्री डॉ विनोद प्रसाद यादव, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक-15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-धाम-05 के संबंध में।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री डॉ विनोद प्रसाद यादव, सदस्य बिहार विधान सभा ।	श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार।

प्रश्न

क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड में दुल्हिन मंदिर एवं रूकमिणी नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है तथा उक्त मंदिर का आय-व्यय का कोई ब्यौरा संधारित नही है, यदि हॉं तो सरकार उक्त वर्णित मंदिरों का आय व्यय का ब्यौरा कबतक संधारित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) रूकमिणीनाथ मंदिर शेरघाटी, गया:-

रूकमिणीनाथ मंदिर, शेरघाटी, गया पर्षद मे निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-3415 है। इस न्यास की सुव्यवस्था के लिए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-640, दिनांक-12.06.2008 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी की अध्यक्षता मे एक न्यास समिति का गठन, अगले आदेश तक, किया गया था। न्यास समिति द्वारा दिनांक-10.11.2015 को वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के आय-व्यय का विवरण दाखिल किया गया है। इसके बाद का विवरण प्राप्त नही हुआ है। न्यास के सुचारू प्रबंधन के लिए नयी न्यास समिति का गठन आवश्यक है। अतएव नयी न्यास समिति के गठन के लिए पर्षदीय पत्रांक-2220, दिनांक-23.01.2018 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी से सदस्यों का नाम उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।

(2) दुल्हिन मंदिर, शेरघाटी, गया:-

दुल्हिन मंदिर, शेरघाटी, गया पर्षद में सार्वजनिक धार्मिक न्यास के रूप में निबंधित है, जिसकी निबंधन संख्या-88 है। इस मंदिर के प्रबंधन के लिए पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-989, दिनांक-07.08.1998 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी की अध्यक्षता में एक न्यास समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में

कृ0पृ030

श्रीमती लेशी सिंह, माननीया सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक–15.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं॰–सह॰–08 का उत्तर :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती लेशी सिंह, माननीया सदस्य, बिहार विधान सभा।	श्री राणा रणधीर, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के 38 जिलों में वर्ष 2017–18 में ए॰आई॰सी॰ लि॰, भारती एक्सा, जी॰आई॰सी॰ लि॰, यूनाईटेड इंडिया इन्स्योरेन्स कंपनी लि॰ के द्वारा 11,29,772 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् फसलों की बीमा की गई है,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् वर्ष 2017–18 अंतर्गत खरीफ 2017 मौसम में कार्यभारित तीन बीमा कंपनियों यथा–ए॰आई॰सी॰, भारती एक्सा॰ एवं चोलामंडलम बीमा कंपनियों द्वारा कुल 11,57,181 किसानों के फसलों का बीमा किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि सहकारिता विभाग के अधिसूचना संख्या–5837 दिनांक–24.07.2017 में अधिसूचित किया गया है कि फसलों का पंचायतवार, प्रखण्डवार, जिलावार वास्तविक उपज आँकड़ें 31 जनवरी 2018 तक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध करा दिया जाना था, जिसके आधार पर बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनियों द्वारा कुल 72,66,584.72 रुपया का भुगतान किसानों को कर दी जानी थी,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या–5837 दिनांक–24.07.2017 के आलोक में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा फसल कटनी प्रतिवेदन बीमा कंपनियों को दिनांक–31.01.2018 तक उपलब्ध करा दी गई है। उक्त फसल कटनी प्रतिवेदन के आधार पर बीमा कंपनियों के द्वारा फसलवार तथा बीमा इकाईवार क्षतिपूर्ति की गणना की जा रही है।
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो अबतक बीमा कंपनियों द्वारा बीमित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देने का औचित्य क्या है ?	उपर्युक्त खंड (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

प्रद्युम्न

D:\RTI\041217\Vidhan Sabha Answer Leshisingh-2-15-03-18.doc

बिहार विधान सभा में डॉ अब्दुल गफुर, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–19:–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत नवहट्टा प्रखंड के लालपुर गाँव के महादलित श्री पाँचू सादा, श्री फुलसी सादा सहित 95 महादलित परिवार को मुख्य संड़क तक आने जाने हेतु सम्पर्क पथ नहीं रहने के कारण काफी पेरशानी हो रही है, यदि हाँ तो सरकार उक्त महादलितों के आवागमन हेतु कबतक सम्पर्क पथ बनाना चाहती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। समाहर्त्ता, सहरसा के प्रतिवेदनानुसार मौजा लालपुर, अंचल नवहट्टा में सरकारी सड़क अवस्थित है, जिसकी चौड़ाई 12 से 15 फीट है तथा चार चक्के वाली गाड़ी चलने लायक वर्त्तमान में कच्ची सड़क मौजूद है। इस सड़क में सन्हित खेसरा नं0–772, 765, 767, 723, 721, 618, 685, 684, 623, 630, 628 एवं अन्य है, जिसकी खतियानी इन्द्राज अनावाद बिहार सरकार के नाम है।

04

D:\Sanjeev\sec.-B\Uttam G\Qustion\Qustion-Ra-19.doc

बिहार विधान सभा में श्रीमती भागीरथी देवी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक– 15.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–आर0–71 उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि बेतिया जिलान्तर्गत रामनगर प्रखण्ड स्थित पंचायत तौलाहा में खेल का मैदान विगत 10 (दस) वर्षों से स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त खेल मैदान (टांड़) को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। रामनगर अंचल अन्तर्गत पंचायत तौलाहा के मौजा–तौलाहा में खेल के मैदान के कुछ अंश को स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु अतिक्रमण वाद संख्या–07/2017–18 संधारित कर अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

05

श्री अमरनाथ गामी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–70 का उत्तर :–

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि		श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखण्ड के हायाघाट बाजार में सैरात की जमीन से सरकार को पूर्व में लाखों का राजस्व डाक द्वारा प्राप्त होता था ;	समाहर्त्ता, दरभंगा के पत्रांक–31/रा0, दिनांक–13.03.2018 से प्राप्त सूचनानुसार हायाघाट अंचल के हायाघाट बाजार सैरात की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2015–16 में खूली डाक के द्वारा की गयी थी, जिसके पूर्व उक्त बाजार सैरात की विभागीय वसूली होती थी।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में सैरात की जमीन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा फर्जी कागजात बनवाकर सैरात की जमीन कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण दो वर्षो से उसका डाक नहीं हो रहा है और सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है ;	प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उक्त सैरात जमीन की जमाबंदी चल रही है। उक्त भूमि से संबंधित जमाबंदी संदिग्ध होने के कारण जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के माध्यम से अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को भेजा गया है। किसी भी जमीन की अवैध जमाबंदी को रद्द करने की शक्ति बिहार दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–9 एवं बिहार दाखिल खारिज नियमालवी, 2012 के नियम–13 में निहित प्रावधानुसार अपर समाहर्त्ता को प्रदत्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर सैरात करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	जमाबंदी रद्दीकरण के पश्चात् सैरात को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए उसके बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जाएगी।

(06)

बिहार विधान सभा में श्री मुजाहिद आलम, मा० स० वि० स० द्वारा दि०–15.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–रा०–38 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड मुख्यालय की चहारदीवारी एवं एस0 एच0–99 सड़क के बीच की सरकारी भूमि को अतिक्रमण कर लिए जाने के कारण प्रखण्ड मुख्यालय के सामने दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त सरकारी भूमि को कबतक अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा सूचित किया गया है कि कोचाधामन प्रखण्ड मुख्यालय की चहार दिवारी एवं एन0एच0–99 सड़क के बीच अस्थायी रूप से सरकारी अतिक्रमित भूमि को दिनांक–08.03.2018 को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है।

07

बिहार विधान सभा में श्री रामानुज प्रसाद मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–15.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–73 का उत्तर

	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
1	क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर एवं दिघवारा प्रखण्डों में सरकार ने अनसर्वे लैण्ड/टोपू लैण्ड के नाम पर भूमि का निबंधन, दाखिल खारिज एवं जमाबंदी का कार्य पिछले 04 वर्षों से बंद रहने से आम जनता को शादी–विवाह, उच्च शिक्षा, फसल क्षतिपूर्ति एवं आय प्रमाण पत्र/ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र बनवाने आदि कार्यों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ तो सरकार उक्त प्रखण्डों में भूमि निबंधन, दाखिल–खारिज एवं जमाबंदी का कार्य कबतक प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	**Unservey Land/** टोपो लैण्ड भूमि के स्वामित्व एवं अधिकार के संबंध में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग के द्वारा अपने परामर्श में न्यायालय के एक विनियमन का उल्लेख किया गया है, जो **Privy Council in the matter of Tarakdas Acharjee Choudhary Vrs. Secretary of State preported in A.I.R. 1935 P.C 125** से संबंधित है, जिसमें निम्न आदेश अंकित किये गये है:– **" .... It is beyond question that the bed of a public Navigable river and the river Ganges undoubtedly belongs to the Category is presumed to be the property to the Government, and not that of a private person."** माननीय महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा भी अपनी राय में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि असर्वेक्षित भूमि सरकारी भूमि है। इस प्रकार की भूमि को सरकार के दखल एवं स्वामित्व में ~~लेने~~ लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। विधि विभाग के द्वारा निष्कर्षतः अपने मंतव्य में यह अंकित किया गया है कि असर्वेक्षित भूमि/टोपो लैण्ड सरकारी जमीन है, जिस पर किसी रैयत विशेष के स्वामित्व एवं अधिकार को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। असर्वेक्षित भूमि/टोपो लैण्ड पर किसी रैयत विशेष के स्वामित्व एवं अधिकार के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा नीति का निर्धारण प्रक्रियाधीन है।

69

बिहार विधान सभा के लिए श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, माननीय स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–41:–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत अंचल जितवारपुर के मौजा लगुनिया रघुकंठ, मौजा–वाजितपुर सहित सम्पूर्ण अंचल क्षेत्र में हजारों वासगीत पर्चाधारी भूमिहीनों को बासगीत का पर्चा रहने के बावजूद आजतक जमीन का दखल–कब्जा नहीं हो सका है, जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, यदि हाँ तो सरकार उक्त बासगीत पर्चाधारी भूमिहीनों को जमीन का दखल कब्जा दिलाने में लापरवाही बरतने वाले के विरूद्ध कार्रवाई कराते हुए कबतक भूमि का दखल कब्जा दिलाना चाहती है, नहीं तो क्यो?	समाहर्त्ता, समस्तीपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत जितवारपुर अंचल में कुल पर्चाधारियों की सर्वेक्षित संख्या–3042 है, जिसमें बेदखल पाये गये पर्चाधारियों की संख्या–364 है, जिसमें 128 पर्चाधारियों को दखल दिलाया जा चुका है। शेष 236 पर्चाधारियों के भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद चल रहा है, जो इस प्रकार है:– 1. माननीय उच्च न्यायलय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–3570/2015 चन्द्र प्रकाश शर्मा वनाम बिहार सरकार एवं अन्य अन्तर्गत–171 मामले। 2. सिविल न्यायालय में स्वत्व वाद अन्तर्गत 08 मामलें। 3. भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अन्तर्गत 57 मामलें कुल 236 मामले न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण दखल–कब्जा दिलाया जाना संभव नहीं हो रहा है। माननीय न्यायालय के निर्णयोपरान्त तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

10

D:\Sanjeev\sec.-7\Suvash G\Qustion\Qustion-Ra-41.doc

बिहार विधान सभा में माननीय श्री संजय सरावगी, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–31:–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
1. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार भूमिहीन महादलित एवं दलित परिवारों को बसाने के लिए पाँच डीसमिल जमीन देने का निर्णय चार वर्ष पूर्व ले चुकी है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0–23 मोहल्ला वाजितपुर किलाघाट (पासवान टोला) में रहने वाले 1. रामलखन पासवान, पिता–स्व0 बसंत पासवान, 2. राजा पासवान पिता–प्रभु पासवान 3. रामचन्द्र पासवान, पिता–स्व0 सीताराम पासवान, 4. सत्य नारायण पासवान, पिता–सौकी पासवान, 5. राजेन्द्र पासवान पिता सुकन पासवान समेत 50 दलित एवं महादलित परिवार पिछले 50 वर्षों से रहते आ रहे हैं, लेकिन उनको उक्त जमीन का वासगीत पर्चा सरकार द्वारा अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है;	B.P.P.H.T. Act 1947 तथा बन्दोवस्ती का प्रावधान शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावी नहीं है। क्रमांक 1 से 5 तक व्यक्ति रैयती भूमि में बसे हुए हैं, जो नगर निगम दरभंगा क्षेत्र के अन्तर्गत है। अतः नियमों के आलोक में बासगीत पर्चा नहीं दिया जा सकता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित दलित एवं महादलित परिवारों को वासगीत पर्चा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक बिहार राज्य शहरी क्षेत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के वासरहित परिवारों के लिए) वास भूमि नीति 2014 में दिये गये प्रावधान के अनुकूल जमीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(11)

श्री रामबालक सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–69 का उत्तर :–

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि		श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के सहदेई बुजुर्ग अंचल अन्तर्गत ग्राम–सहदेई के अर्जुन भगत को सिलिंग एक्ट के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हाजीपुर के निर्णय के आलोक में केवाला किया गया।	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि 17 जनवरी, 2017 को बोर्ड ऑफ रेभेन्यु, बिहार, पटना द्वारा उप समाहर्त्ता के निर्णय को सही माना गया।	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि 30 मई, 2017 को लोक सेवाओं का अधिकार के द्वारा दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन दाखिल–खारिज नहीं हुआ।	स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्क है तो क्या सरकार उक्त जमीन का दाखिल–खारिज कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत भूमि पर B.L.T. के न्यायालय में अपील वाद सँ0–236/17 श्रीमती चैती देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के विरूद्ध दायर है जिसमें B.L.T. न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया गया है।

12

श्री यदुवंश कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–68 का उत्तर :–

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि		श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत भुवनेश्वरी उच्च विद्यालय, हरदी चौघाड़ा के भू–खण्ड पर हाट लगता है तथा उक्त हाट की बंदोवस्ती अंचलाधिकारी, सुपौल द्वारा की जाती है ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। सुपौल जिलान्तर्गत भुवनेश्वरी उच्च विद्यालय, हरदी चौघाड़ा के भू–खण्ड पर लगने वाला हाट की बंदोबस्ती अंचलाधिकारी, सुपौल द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि उक्त हाट की बंदोवस्ती जिला स्तर से की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि हाट बंदोवस्ती से प्राप्त राशि विद्यालय विकास कोष में नहीं दी जाती है।	प्रश्नगत हाट की बंदोवस्ती जिला स्तर से की जाती है तथा बंदोवस्ती से प्राप्त राशि नियमानुसार सरकारी शीर्ष–0029 में जमा की जाती है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हाट बंदोवस्ती से प्राप्त राशि विद्यालय विकास कोष में जमा करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

14

D:\jiten\sec-9\2018\Answer\Yaduvansh kr. yada.RA-68.doc

बिहार विधान सभा में श्री राजेश कुमार, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक- 15.03.08 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-रा०-64 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय जो आदर्श उच्च विद्यालय, वमण्डी के भवन में चल रहा है के सरकार द्वारा अब तक भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह विद्यालय बन्द होने के कगार पर है, जिससे वहाँ के छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है औरंगाबाद जिला अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय जो वर्तमान में आर्दश उच्च विद्यालय, वमण्डी (अब समाप्त) के भवन में चल रहा है, को भूमि उपलब्ध कराने हेतु 10.00 एकड़ सरकारी भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा गया था। परन्तु राजस्व विभाग द्वारा केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 04 (चार) एकड़ सरकारी भूमि के हस्तान्तरण हेतु संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। तद्नुसार 4.00 एकड़ भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें 3.20 एकड़ आदर्श उच्च विद्यालय, वमण्डी भूमि भी शामिल है। उक्त भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति हेतु शिक्षा विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है।

15

श्री उपेन्द्र पासवान, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–66 का उत्तर :–

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बखरी अनुमंडल मुख्यालय में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का पद विगत एक वर्ष से रिक्त होने के कारण आम लोगों का कार्य बाधित है, जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार उक्त रिक्त पद पर कब तक पदाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पदाधिकारियों की सेवा पदस्थापन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पदाधिकारियों की कमी के कारण राज्य के सभी अनुमंडलों में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पद पर पदस्थापन किया जाना संभव नहीं हो सका है। बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी अनुमंडल में भी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का पद वर्तमान में रिक्त है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों की सेवा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु उपलब्ध कराने संबंधी अनुरोध पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। सेवा प्राप्त होने पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के रिक्त पदों पर पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी।

16

श्रीमती आशा देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–72 का उत्तर :–

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि		श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दानापुर के अधीन मौजा–छितनावॉं–96 खाता सं0–64 अंचल–मनेर, जिला–पटना में स्थित उक्त खाता का लगान रसीद पूर्व में निर्गत हुआ है एवं इसका दाखिल खारिज भी होता रहा है।	स्वीकारात्मक है। समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक–712, दिनांक–13.03.2018 से प्राप्त सूचनानुसार विषयांकित भूमि गैरमजरूआ मालिक खाते की है। विषयांकित भूमि की जमाबंदी पूर्व में दर्ज हुई थी, जिसके विरूद्ध लगान रसीद निर्गत किया जाता रहा है। विभागीय निदेश के आलोक में संदिग्ध जमाबंदियों की जॉच के क्रम में यह पाया गया कि प्रश्नगत गैर मजरूआ मालिक जमीन की जमाबंदी सृजन का कोई आधार नहीं है, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2016–17 से लगान रसीद निर्गत किया जाना बन्द कर दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन नगर परिषद् दानापुर वार्ड सं0–01 और 3 में स्थित है एवं भूमिधारियों के हजारों घर निर्मित है, नगर परिषद के होल्डिंग नम्बर आवंटित है एवं होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है।	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि विगत दो वर्षो से लगान रसीद निर्गत करने एवं उक्त जमीन के निबंधन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा जमाबंदी रद्द करने का आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिया गया है।	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत जमाबंदी से संबंधित जमीन गैर मजरूआ मालिक है। उक्त जमीन की जमाबंदी सृजन से संबंधित कोई आधार/प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जमाबंदी संदिग्ध होने के कारण लगान रसीद निर्गत किया जाना बन्द कर दिया गया है। चूकि जमीन सरकारी है, इसलिए इस प्रकार की जमीन के निबंधन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्क है, तो क्या सरकार शपथ जवाबदेही को रद्द कर वहॉं के स्थानीय लोगों के निर्मित हजारें घर को उजारने की कार्रवाई बंदकर एवं लगान रसीद को निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	समाहर्त्ता, पटना से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वर्त्तमान में उक्त भूमि पर निवास कर रहे परिवारो को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चूकि भूमि सरकारी है, अतः इस संबंध में जांचोपरान्त विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

17

बिहार विधान सभा में श्री रत्नेश सादा, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–15.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–65 का उत्तर

प्रश्न			उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–			माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा अंचल के तिलाबे के तिलाबे नदी के किनारे पूर्वी तरफ 38 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार की जमीन पर अतिक्रमण कर घर बना कर रह रहे हैं तथा उसे किराया पर लगा दिया गया है,	1	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त सरकारी जमीन पर संगठित गिरोह द्वारा खरीद फरोख्त कर करोड़ों की सरकारी जमीन में लाखों की कमाई की जा रही है, इस सम्बन्ध में अंचल कार्यालय में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है,	2.	समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि के क्रय बिक्रय का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। इस जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने हेतु अंचल कार्यालय, सोनवर्षा द्वारा अतिक्रमणकारियों को सूचना निर्गत कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार तिलाबे के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए जमीन को कब तक मुक्त करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	3.	कंडिका–2 स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

18

बिहार विधान सभा में श्री सरोज यादव, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दि0–15.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–48 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखंड के ग्राम केशोपुर निवासी राधाकृष्ण यादव, बन्धु छपरा निवासी शिवशंकर बिन्द, कंवर बिन्द, संजय बिन्द, हरिशंकर बिन्द, गौरीशंकर बिन्द, धीरज बिन्द एवं गुप्तेश्वर साह आदि के पूर्वजों ने विगत 100 वर्षों से घर बनाकर सरकारी भूमि पर रह रहे हैं, परन्तु उक्त भूमिहीनों को अबतक वासगीत पर्चा नहीं मिला है, यदि हां तो सरकार उक्त भूमिहीन परिवारों को कबतक तक वासगीत पर्चा देने का विचार कर रही है, नहीं तो क्यों ?	समाहर्त्ता, भोजपुर के पत्रांक–569/रा0, दिनांक–08.03.2011 से प्राप्त सूचनानुसार भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा अंचल के ग्राम–केशोपुर निवासी राधाकृष्ण यादव किसी अन्य रैयत के रैयती जमीन पर आवास बनाकर निवास कर रहे है। अंचल अधिकारी द्वारा श्री यादव को बी0पी0एच0टी0 एक्ट–1947 में निहित प्रावधानों के आलोक में वासगीत का पर्चा दिये जाने की कार्रवाई की जा रही है। समाहर्त्ता, भोजपुर द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन विवादग्रस्त है, जिसके स्वामित्व के निर्धारण हेतु व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद लंबित है। 2. बन्धु छपरा निवासी शिवशंकर बिन्द, कंवर बिन्द, संजय बिन्द, हरिशंकर बिन्द, गौरीशंकर बिन्द, धीरज बिन्द एवं गुप्तेश्वर साह आदि द्वारा गंगा नदी पर स्थित बाँध पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसकी जांच सहायक अभियन्ता बाढ़ प्रमंडल, आरा से प्राप्त लिखित सूचना के आधार पर की गयी है एवं अतिक्रमणकारियों को बांध की भूमि का अवैध कब्जा को खाली किये जाने का आदेश दिया गया है, ताकि बांध पर सड़क का निर्माण किया जा सके। स्थानीय जांचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त सभी अतिक्रमणकारियों का बन्धु छपरा गांव में अपना पैतृक घर है, जिसके कारण उन्हें आवासन हेतु कोई अन्य जमीन का आवंटन/बन्दोबस्ती किया जाना अपेक्षित नहीं है।

19

बिहार विधान सभा में श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–59:–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
1. क्या यह बात सही है कि बिहार में वर्ष 1970 में हुए चकबंदी के आधार पर लाखों एकड़ भूमि भूदान यज्ञ समिति को प्राप्त कराया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य अन्तर्गत भू–दान से प्राप्त भूमि का वितरण बिहार भूदान यज्ञ समिति के माध्यम से किया जाता है। राज्य में भूदान से प्राप्त कुल भूमि 6,48,593.14 (छः लाख अड़तालीस हजार पांच सौ तिरानवे दशमलव एक चार) एकड में से 3,46,494.95 (तीन लाख छियालिस हजार चार सौ चौरानवे दशमलव नौ पांच) एकड भूमि सम्पुष्ट की गयी है।
2. क्या यह बात सही है कि भूदान यज्ञ समिति चकबंदी से प्राप्त भूमि को लगभग 45 वर्षों बाद भी गरीब दलितों को वितरीत नही कर सकी है और जहाँ कुछ भूमि का वितरण कर भी दिया गया है, तो लाभार्थियों को दिनांक–10.02.2016 तक दखल कब्जा नहीं दिला पायी है;	बिहार भूदान यज्ञ समिति द्वारा अभी तक 2,56,545.08 (दो लाख छप्पन हजार पांच सौ पैंतालीस दशमलव शून्य आठ) एकड भूमि वितरित की जा चुकी है। वितरण के योग्य शेष बची हुई 5495.99 एकड भूमि का वितरण समिति द्वारा किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न श्रेणी यथा–गैरमजरूआ, अधिशेष भूमि, भूदान एवं अन्य माध्यम से वितरित भूमि पर से बेदखल पर्चाधारियों को दखल–कब्जा दिलाने के उदेश्य से ऑपरेशन भूमि दखल देहानी नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कुल 123577 चिन्हित बेदखली मामले के विरूद्ध अभी तक 81 हजार से अधिक पर्चाधारियों को इस अभियान के अन्तर्गत उन्हें वितरित भूमि पर दखल कब्जा दिलाया जा चुका है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भूदान यज्ञ समिति को प्राप्त भूमि का अद्यतन स्थिति तैयार कर शेष भूमि को गरीब, दलितों में वितरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री यदुवंश कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–67 का उत्तर :–

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि		श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला में वर्ष 1902–03 के सर्वे के आधार पर सर्वे कार्य चलाया जा रहा है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि जिले के किसनपुर एवं सरायगढ़–भपटियाही अंचल में पुराने जमाबंदी को बन्द कर पूर्व में सम्पन्न नये सर्वे के आधार पर लगान की वसूली की जाती है। फलतः रैयतों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।	किसनुपर अंचल अन्तर्गत कुल 45 मौजा है, जिनमें 29 मौजा का हाल सर्वे खतियान के आधार पर राजस्व संग्रहण किया जा रहा है। शेष 16 मौजा में पुराने जमाबंदी पंजी के आधार पर राजस्व लगान की वसूली हो रही है। सरायगढ़–भपटियाही अंचल अंतर्गत कुल 38 मौजा है, जिसमें से 35 मौजे का हाल सर्वे फाईनल खतियान प्राप्त है, जिसके आधार पर जमाबंदी पंजी संधारित है। शेष 03 मौजा यथा चॉदपीपर, सरायगढ़ तथा मुरली पुराने सर्वे के आधार पर जमाबंदी चलती है। इन तीन मौजे में लगान वसूली का कार्य इसके आधार पर किया जाता है। मौजा सरायगढ़ एवं चॉदपीपर के बॉध के अन्दर हाल सर्वे फाईनल है। इसी के आधार पर जमाबंदी संधारित है एवं लगान वसूली की जाती है। इस प्रकार रैयतों से नियमानुसार लगान वसूली की जाती है एवं रैयतों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 1902 के खतियान जमाबंदी के आधार पर नियमानुकुल राजस्व वसूली करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट की गई है।

21

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

पत्रांक-6ए/प्र03-101/2018- 598

प्रेषक,

दया शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 12/3/18

विषय: श्री राघव शरण पाण्डेय, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-02 के संबंध में।

प्रसंग: प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-3260-62 दिनांक 07.03.2018

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-02 जो श्री राघव शरण पाण्डेय, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2018 को पूछा जाने वाला है, को मूल प्रति संलग्न कर आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। जिस पर सम्प्रति आपके विभाग से कार्रवाई अपेक्षित है।

उपर्युक्त की सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय को भी दी जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

12/3/18

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक- 598 पटना, दिनांक- 12/3/18

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-3260-62 दिनांक 07.03.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

12/3/18

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

श्रीमती गायत्री देवी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 08.03.2018 को बिहार विधान-सभा म पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-24

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड में तीन एवं सोनवरसा प्रखण्ड में एक जल मीनार तीन वर्षो से निर्मित एवं संचालित है, लेकिन सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत उन पंचायतों में हर घर नल से जल देने का काम नही हुआ है, यदि हाँ तो सरकार कितने दिनों में उपरोक्त जल मीनार से लोगों को नल से जल हर घर में पहुँचाने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत परिहार उत्तरी, परिहार दक्षिणी एवं सिरसिया ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना तथा सोनबरसा प्रखंड के अंतर्गत स्वीकृत सोनबरसा ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं के कार्यो को पूर्ण कराकर चालू किया गया है एवं जलापूर्ति दी जा रही है। मुख्य मंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत उक्त योजनाओं में पाईप लाईन विस्तार कर 'हर घर नल जल' योजना हेतु डी०पी०आर० तैयार किया गया है। इनकी स्वीकृति प्रदान कर अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में 'हर घर नल जल' की व्यवस्था कराई जाएगी।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1020/2018- 456 पटना, दिनांक- 5/3/18.

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 1959-60 दिनांक 15.02.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० [signature] मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0फो0)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–7/प्र0–1–104/2018 118

प्रेषक,

दयाशंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

सेवा में,

परिचारी बही से आज ही।

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 14/3/18

विषय–श्री नौशाद आलम, स0वि0स0 के द्वारा दि0–15.03.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–फ–42 के संबंध में।

प्रसंग–बिहार विधान सभा के ज्ञापांक–3488–89 वि0स0, दिनांक–09.03.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र श्री नौशाद आलम, स0वि0स0 के द्वारा दि0–15.03.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–फ–42 का विषय नगर विकास एवं आवास विभाग, से संबंधित है।

उपरोक्त के आलोक में तारांकित प्रश्न को मूल रूप में संलग्न कर हस्तांतरित किया जा रहा है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(दयाशंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

परिचारी बही से आज ही।

ज्ञापांक–7/प्र0–1–104/2018 118 *पटना, दिनांक–* 14/3/18

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदा0, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–3488–89 वि0स0, दिनांक–09.03.2018 के प्रसंग में/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दयाशंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-47

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि पूर्णिया पूर्व प्रखण्ड के भट्गामा, चाँदी एवं कवैया पंचायतों में सोलर मिनी जलापूर्ति योजना वर्ष 2013-14 में शुरू हुआ जो अभी बंद है, जिससे ग्रामीण जलापूर्ति बाधित है, यदि हाँ तो सरकार उक्त पंचायतों में बंद सोलर मिनी जलापूर्ति योजना को कबतक चालू कराने एवं दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया पूर्व प्रखंड के **भट्गामा सोलर चालित मिनी जलापूर्ति योजना** माह अक्टूबर, 2015 में चालू की गई थी, जो चालू है। **कवैया सोलर चालित मिनी जलापूर्ति योजना** माह सितम्बर, 2011 में प्रारंभ की गई थी, परन्तु अगस्त 2017 में सोलर प्लेट चोरी होने से जलापूर्ति बाधित है। नये सोलर प्लेट को अधिष्ठापित कराकर एक माह में पुनः जलापूर्ति शुरू की जाएगी। **चाँदी सोलर चालित मिनी जलापूर्ति योजना** जो रानीपतरा खादी ग्रामोद्योग के पास अवस्थित है। माह मई, 2012 में प्रारंभ की गई, जो चालू है। मुख्य मंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत पूर्ण रूप से गृह जल संयोजन हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया है तथा वर्ष 2018-19 में योजना की स्वीकृति प्रदान कर कार्यान्वयन पूरा कराया जाएगा।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1045/2018- 553 पटना, दिनांक- 15/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 3480-81 दिनांक 09.03.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० एस० मिश्र) 15/3/18
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

श्री मो0 जावेद, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-43

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि किशनगंज के पोठिया प्रखण्ड अन्तर्गत आजादनगर छत्तरगाछ में आर्सेनिक एवं आयरन युक्त पानी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, यदि हाँ तो सरकार उक्त स्थान पर कबतक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला में अधिक आर्सेनिक की समस्या नही है। परन्तु पेयजल में अधिक लौह की समस्या है। सरकार के सात निश्चय अंतर्गत ''हर घर नल का जल'' योजना से किशनगंज के पोठिया प्रखंड अंतर्गत छत्तरगाछ पंचायत में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु सभी वार्डो के लिए डी0पी0आर0 तैयार करने का निदेश दिया गया है। 2018-19 में योजना की स्वीकृति प्रदान कर योजना का कार्यान्वयन पूर्ण करने का लक्ष्य है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/वि04-102/2018-554 पटना, दिनांक-15/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 3486-87 दिनांक 09.03.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० एस० मिश्रा)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

श्री सरोज यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-36

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अंतर्गत बड़हरा प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्सेनिक युक्त पानी होने से बीमारियाँ हो रही है, यदि हाँ तो सरकार आर्सेनिक युक्त पानी से निजात हेतु कौन सी योजना चालू कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखंड के सभी 22 पंचायत गुणवत्ता (आर्सेनिक) प्रभावित है। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर आरा से प्राप्त प्रतिवेदन (दिनांक-15.02.2017 से 03.10.2017) तक आर्सेनिक के अनुसार सदर अस्पताल आरा में आर्सेनिक से प्रभावित मरीजों की संख्या शून्य है। वर्त्तमान में बड़हरा प्रखण्ड अंतर्गत मौजमपुर बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना से कुल 7 पंचायतों यथा सिन्हा, बलुआ, गजियापुर, सोहरा, नरगदा, पकड़ी एवं नथमलपुर के 39 आर्सेनिक प्रभावित ग्रामों/ टोलों में गंगा नदी के जल को शुद्ध कर आर्सेनिक मुक्त शुद्ध पेय जलापूर्ति की जा रही है। साथ ही सेमरिया पड़रिया पंचायत में बड़हरा ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से जलमीनार के माध्यम से पेयजलापूर्ति की जा रही है। इस प्रखंड के 15 अदद आर्सेनिक प्रभावित पंचायतों एवं कोईलवर प्रखंड के 3 आर्सेनिक प्रभावित पंचायतों के लिए नेकनाम टोला बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना प्रस्तावित है जिसका कार्यान्वयन शीघ्र प्रारंभ किया जाना है। इसके माध्यम से कुल 18 पंचायतों के 70 अदद ग्रामों/ टोलों में शुद्ध आर्सेनिक मुक्त जलापूर्ति का प्रावधान किया गया है। बड़हरा प्रखंड अंतर्गत पंचायत फरना में एक अदद मिनी पेयजलापूर्ति योजना चालू है। बड़हरा प्रखंड अंतर्गत हर घर नल का जल कार्य के तहत खवासपुर पंचायत, सेमरियाँ पड़रिया पंचायत एवं मटुकपुर पंचायत में D.P.R. की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसका कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रश्नाधीन शेष सभी आर्सेनिक प्रभावित वार्डो में 'हर घर नल जल' हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने का निदेश दिया गया है, जिसे वर्ष 2018-19 में पूरा कराने का लक्ष्य है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1036/2018-555 पटना, दिनांक- 15/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 2909-10 दिनांक 05.03.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० [illegible])
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

पत्रांक-6ए/प्र01-1041/2018- 552

प्रेषक,

दया शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 14/3/18

विषयः श्री रत्नेश सादा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2018 को बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-46

प्रसंगः प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय का ज्ञापांक-3476-77, दिनांक-09.03.2018

महाशय्

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-फ-46 श्री रत्नेश सादा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2018 को पूछा जाने वाला है, को मूल प्रति संलग्न कर आगे की कार्रवाई हेतु प्रषित किया जा रहा है। जिस पर सम्प्रति आपके विभाग से कार्रवाई अपेक्षित है।

उपर्युक्त की सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय को भी दी जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक- 552 पटना, दिनांक- 14/3/18

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय का ज्ञापांक-3476-77, दिनांक-09.03.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

श्री रामप्रीत पासवान, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-50

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के प्रखंड अन्धराढ़ाढ़ी के गाँव गनौली मे जलमिनार बनाकर वर्ष 2016 से जल आपूर्त्ति किया जा रहा है, परन्तु उक्त पंचायत के पस्टन एवं कसमा गौड़ टोला में अभी तक पाइप द्वारा जल आपूर्त्ति नही की गयी है, यदि हाँ तो सरकार कब तक शेष टोला में जलापूर्त्ति चालू कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के गनौली ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना द्वारा प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत पस्टन टोला में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु "हर घर नल का जल" योजना के तहत डी0पी0आर0 तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2018-19 में इस योजना को पूर्ण कराकर जलापूर्त्ति की जाएगी। कसमा गौड़ टोला में "वार्ड विकास एवं क्रियान्वयन समिति" के माध्यम से जलापूर्ति योजना का कार्यान्वियन किया जाना है, जिसके लिए कारंवाई की जा रही है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1043/2018-556 पटना, दिनांक-15/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 3512-13 दिनांक 09.03.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० [illegible])
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

पत्रांक-6ए/प्र०-1-1012/2018 518

प्रेषक,

दया शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-21/2/18

विषय: श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-20 के संबंध में।

प्रसंग: प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-1477-78 दिनांक 12.02.2018

महाशय्

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-फ-20 जो श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2018 को पूछा जाने वाला है, को मूल प्रति संलग्न कर आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। जिस पर सम्प्रति आपके विभाग से कार्रवाई अपेक्षित है।

उपर्युक्त की सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय को भी दी जा रही है।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक- 518 पटना, दिनांक-21/2/18

प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान-सभा सचिवालय का ज्ञाप सं0-1477-78 दिनांक 12.02.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

श्री सैयद अबु दौजाना, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-41

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड विधान सभा अंतर्गत तीनों प्रखण्ड पुपरी, सुरसंड एवं चोरौत के किसी भी पंचायत के गाँव में "हर घर नल का जल" योजना के लिए पदाधिकारियों की उदासिनता के कारण अभी तक प्राथमिकता सूची का भी चयन नही किया गया है, यदि हाँ तो इसका क्या औचित्य है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड विधान सभा अंतर्गत प्रखंड पुपरी में 13 अदद, सुरसंड प्रखंड में 18 अदद, चोरौत प्रखंड में 7 अदद पंचायत अर्थात कुल-38 अदद पंचायत है। इनमें से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कुल-7 पंचायतों यथा- पुपरी, सुरसंड पूर्वी, सुरसंड उत्तरी, सुरसंड पश्चिमी, श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी, श्रीखंडी भिट्ठा पश्चिमी एवं चोरौत पश्चिमी में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से 98 वार्डो में "हर घर नल का जल" निश्चय योजना के तहत गृह जल संयोजन के माध्यम से जलापूर्ति की जानी है। इस हेतु डी0पी0आर0 बनाने हेतु निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया है। शेष 31 पंचायतों में योजना का क्रियान्वयन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाना है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01 1039/2018- 557 पटना, दिनांक- 15/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 3222-23 दिनांक 07.03.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

15/3/18

(डी० एस० मिश्रा)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

श्री राजेन्द्र कुमार, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-44

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के हरसिद्धि प्रखण्ड मे निर्माणाधीन जलमीनार निर्माण का कार्य संवेदक द्वारा छोड़ दिया गया है तथा प्राककलन के अनुसार डेढ़ कि0मी0 तक पाईप लगाना था, परन्तु गरीब बस्ती एवं महादलित टोला को छोड़कर कार्य किया गया है, यदि हाँ तो सरकार उक्त जलमीनार का निर्माण कार्य पूरा कराकर कबतक गरीब बस्ती एवं महादलित टोला तक पाईप से जोड़ने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि हरसिद्धि प्रखंड के सोनवर्षा ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत प्रावधानित जलमीनार का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा बिछाये गये पाईप लाईन क्षेत्र में वर्त्तमान में जलापूर्त्ति जलमीनार के माध्यम से चालू है। स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार 9135 मीटर पाईप बिछानी थी, जिसमें से स्थल की स्थिति के अनुसार 9070 मीटर पाईप लाईन बिछा दी गई है। महादलित एवं गरीब बाहुल्य वार्डो 5,8,10,11 एवं 12 में भी स्टैण्ड पोस्ट से जलापूर्त्ति की जा रही है। इस योजना के सभी त्रुटियों को दूर करते हुए 'हर घर नल जल' के लिए डी0पी0आर0 तैयार करने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया है। योजना के स्वीकृति प्रदान करने वर्ष 2018-19 में पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत 'हर घर नल जल' के तहत प्रत्येक घरों को नल से जल दिये जाने का प्रावधान है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1042/2018- 558 पटना, दिनांक- 15/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 3484 85 दिनांक 09.03.2018 के प्रसंग मे/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० प्रमोद मिश्र) 15/3/18
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

श्री लाल बाबू राम, स०वि०स० द्वारा दिनांक 15.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-48

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड मे कटेसर पंचायत मे चापाकल से दूषित पानी निकलने के कारण पानी पीने योग्य नही है, यदि हाँ तो सरकार वर्णित पंचायत में कबतक एक जल मीनार का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला के प्रखंड सकरा के कटेसर पंचायत में चापाकलों से दूषित पानी निकलने की कोई शिकायत अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं है। फिर भी कटेसर पंचायत मे अवस्थित पेयजल स्रोतों के जल नमूनों की जाँच कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया है। कार्यपालक अभियंता से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इसके फलाफल आधारित कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/प्र01-1040/2018-558 पटना, दिनांक- 15/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 3482-83 दिनांक 09.03.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० प्रसाद मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

श्री नारायण प्रसाद, स०वि०स० द्वारा दिनांक 15.03.2018 को बिहार विधान-सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-फ-4

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :-

मंत्री, श्री विनोद नारायण झा का

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि प. चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन प्रखंड मुख्यालय बलुआ गाँव, कमल साह उच्च विद्यालय, नौतन का चौराहा पर शुद्ध पेयजल हेतु पाईप लाईन से पानी सप्लाई की व्यवस्था की गई है,	(1) स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन प्रखंड मुख्यालय में वर्ष 2011-12 में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण कराया गया है जिससे बलुआ गाँव, कमल साह उच्च विद्यालय, नौतन का चौराहा को जलापूर्ति की जाती है।
(2) क्या यह बात सही है कि प्रवाहित हो रहे नल में पानी का बहाव नही रहता है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होती है,	(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। विद्यमान योजना से आच्छादित होने वाले कुल 1280 घरों में से 939 घरों में गृह जल संयोजन दिया गया है एवं जलापूर्त्ति दी जा रही है। मुख्य मंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत 'हर घर नल जल' हेतु डी०पी०आर० तैयार करने के लिए कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर योजना की स्वीकृति प्रदान कर इसे अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्ण कराकर 'हर घर नल जल' की व्यवस्था कराई जाएगी।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपभोक्ताओं को सुव्यवस्थित प्रवाह के साथ शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	(3) उक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ज्ञापांक-6ए/वि04-104/2018-551 पटना, दिनांक- 14/3/18

प्रतिलिपि-तीन अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 909-10 दिनांक 06.02.2018 के प्रसंग में/ उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(डी० एस० मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र०को०)

श्री डा० सी० एन० गुप्ता, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज–81

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री डा० सी० एन० गुप्ता सदस्य, बिहार विधान सभा	श्री सुरेश शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
क्या यह बात सही है कि छपरा नगर निगम में शिल्पी सिनेमा के पास स्थित सलेमपुर में सरकारी पोखर को नगर निगम द्वारा भरकर बिना कोई विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाये बिना मॉल बनाने का टेंडर , जनवरी 2018 में कर दिया गया है , यदि हाँ तो सरकार उक्त पोखर पर मॉल बनाने की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए पोखर का सौन्दर्यीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	सलेमपुर, छपरा में छपरा नगर निगम की परिसम्पत्ति के रूप में पोखर की जमीन है। वर्त्तमान में पोखर का मुख्य हिस्सा भरा हुआ है। छपरा नगर निगम के बोर्ड की बैठक दिनांक–12.09.2017 में लिये गये निर्णय के अनुसार P.P.P. मॉडल (Public Private Partnership Model) के तहत इच्छकु निबंधित कम्पनी / बिल्डर्स / संवेदक से सार्वजनिक विज्ञापन /सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित कर अभिरूचि की अभिव्यक्ति की मांग की गई थी । अभिरूचिप्रदत्त बिल्डर्स /संवेदक से प्राप्त प्रस्ताव को सशक्त स्थाई समिति, छपरा नगर निगम के निष्पादन के पश्चात् नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना का प्रस्ताव छपरा नगर निगम कार्यालय से विभाग में दिनांक–14.03.2018 को मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसकी जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

श्री नीरज कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न सं०–ज–78

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नीरज कुमार, सदस्य बिहार विधान सभा।	**श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग**
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत वार्ड नं०– 06 में मनोज पाण्डे के घर से निर्मल कुमार झा के घर तक एवं दीपरंजन वर्मा के घर से संथाली टोला तक सड़क का पी०सी०सी० करण कार्य नहीं किया गया है, जिससे आवागमन बाधित है। यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त सड़क का पी०सी०सी० करण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नगर निगम, कटिहार के वार्ड सं०– 06 में मनोज पांडेय के घर से निर्मल कुमार झा के घर तक एवं दीपरंजन वर्मा के घर से संथाली टोला तक ईंट सोलिंग है। नगर निगम, कटिहार के आगामी सामान्य बैठक में इस सड़क का पी०सी०सी० करण का प्रस्ताव पारित हेतु रखा जाएगा। सामान्य बैठक में पारित होने के उपरान्त निधि की उपलब्धता के आलोक में प्राथमिकता के अनुरूप नगर निगम, कटिहार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

श्री गुलाब यादव, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–ज–74

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री गुलाब यादव, सदस्य, बिहार विधान सभा,	श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिले के झंझारपुर नगर पंचायत की जनसंख्या अधिक हो गयी है, परन्तु अभी तक नगर परिषद का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, यदि हाँ तो सरकार झंझारपुर को नगर परिषद का दर्जा कबतक देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पंचायत, झंझारपुर की कुल जनसंख्या 30590 है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा–3 के प्रावधानानुसार मध्यम शहरी क्षेत्र के गठन की दशा में कुल जनसंख्या 40,000 या उससे अधिक किन्तु 2,00,000 से अनाधिक, परन्तु सभी दशाओं में गैरकृषि जनसंख्या 75% या उससे अधिक होना आवश्यक है। अतः उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार नगर पंचायत, झंझारपुर, नगर परिषद का दर्जा प्रदान करने की अर्हता प्राप्त नहीं करता है।

माननीया स0वि0स0 श्रीमती गुलजार देवी, द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक–15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज0–66 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती गुलजार देवी, माननीया स0वि0स0	उत्तरदाता श्री सुरेश कुमार शर्मा मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बताने की कृपा करेंगें कि– क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत नगर पंचायत घोघरडीहा में फुलपरास घोघरडीहा मेन रोड एस. एच. 51 नगर पंचायत के प्रवेश द्वार पर 50 परिवार धरकार जाति (अनुसूचित जाति) के सड़क के दोनों किनारे बासभूमि के अभाव में अमानवीय जीवन जीने को विवश हैं, यदि हाँ तो सरकार कब तक वर्णित परिवारों को वास भूमि देना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। संबंधित लाभुकों को वासभूमि उपलब्ध करवाने हेतु अंचल अधिकारी घोघरडीहा से अनुरोध किया जा चुका है, कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री मदन मोहन तिवारी, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०– य–03

प्रश्नकर्त्ता श्री मदन मोहन तिवारी, सदस्य बिहार विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नगर परिषद्, बेतिया के सभी 39 वार्डों के चौक–चौराहों पर लगाए गए स्ट्रीट लाईट खराब हो गए है, जिससे आम जनता को परेशानी उत्पन्न हो गई है, यदि हाँ तो क्या सरकार खराब पड़े स्ट्रीट लाईट को ठीक कराने का विचार कब तक रखती है, नहीं तो क्यों?	(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नगर परिषद्, बेतिया के कुछ चौक चौराहों पर स्ट्रीट लाईट खराब है, जिसमें से कुछ खराब स्ट्रीट लाईट को ठीक करा दिया गया है एवं शेष बचे खराब स्ट्रीट लाईट को ठीक कराया जा रहा है। मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में सभी नगर निकायों में भारत सरकार के उपक्रम EESL के माध्यम से LED स्ट्रीट लाईट लगाए जाने हेतु विभाग द्वारा MOU हस्ताक्षरित किया गया है। पुनः सभी नगर निगमों एवं सभी नगर परिषदों द्वारा EESL के बीच सर्विस लेवल एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया जा चुका है। सभी नगर पंचायतों के साथ भी EESL द्वारा शीघ्र ही सर्विस लेवल एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया जाएगा। नगर निगमों एवं नगर परिषदों में तत्काल सर्वे का कार्य EESL एवं नगर निकायों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तत्पश्चात् परम्परागत लाईट को LED लाईट से बदला जाएगा। जहाँ पोल हैं परन्तु लाईट नहीं है, वहाँ नए LED लाईट लगाए जाएंगे तथा जहाँ पोल भी नहीं है और लाईट की आवश्यकता है वहाँ पोल सहित LED लाईट EESL द्वारा लगाया जाएगा। 31 मार्च, 2019 तक सभी नगर निकायों में LED स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन करने का लक्ष्य EESL को दिया गया है। इसके तहत ही नगर परिषद् बेतिया में शेष बचे खराब स्ट्रीट लाईट ठीक करा दिया जाएगा।

श्री आनन्द शंकर सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– ज–60

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आनन्द शंकर सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा	**श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग**
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नगर परिषद् के दानी बिगहा स्थित उद्यान के लिए चहारदीवारी जिला परिषद् की जमीन पर कर दी गई है,	(1) स्वीकारात्मक। चहारदीवारी निर्माण कार्य जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा कराया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि जिला परिषद् द्वारा एक वर्ष पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के बावजूद आज तक नगर परिषद् के द्वारा पार्क का निर्माण नहीं किया गया है,	(2) स्वीकारात्मक। दानी बिगहा पार्क निर्माण के लिए AMRUT योजना अन्तर्गत योजना का प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक–22.12.2017 को प्रदान किया गया तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् औरंगाबाद के द्वारा उक्त योजना का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु दिनांक–13.02.2018 को बुडा, पटना को उपलब्ध कराया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक उक्त पार्क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	(3) स्वीकारात्मक। दानी बिगहा पार्क निर्माण हेतु समर्पित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जा रही है। निविदा निष्पादन के उपरान्त शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

14/03/18

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला <u>तारांकित प्रश्न सं०– ज–28</u>

प्रश्नकर्त्ता **श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, सदस्य बिहार विधान सभा।**	उत्तरदाता **श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग**
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नगर पंचायत, बेलसंड के वार्ड नं०– 08 में मेन रोड पुकार भंडारी के घर से महारानी स्थान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण तथा ब्रह्म स्थान मोड़ राजमंगल साह के घर से मकेश्वर भगत के घर तक सड़क निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति हेतु नगर पंचायत, कार्यालय, बेलसंड के पत्रांक– 604, दिनांक– 01.11.2016 द्वारा कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी को भेजा गया है, लेकिन अभी तक उक्त योजनाओं के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति नहीं मिला है, यदि हाँ तो सरकार उक्त योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति कबतक देने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नगर पंचायत, बेलसंड के वार्ड नं०– 08 में मेन रोड पुकार भंडारी के घर से महारानी स्थान तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण हेतु योजना मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना अंतर्गत चयनित है, जिसकी प्राक्कलित राशि ₹30.23398 लाख (तीस लाख तेईस हजार तीन सौ अंठानवे रु०) है। उक्त योजना की निविदा दिनांक– 20.09.2017 को प्रकाशित की गई थी। प्राप्त निविदा की तुलनात्मक विवरणी जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी द्वारा विभागीय अधीक्षण अभियंता को उपलब्ध कराया गया है। निविदित कागजात के समीक्षोपरांत कुछ त्रुटियाँ/कमियाँ पाई गई है, अधीक्षण अभियंता के पत्रांक– 223, दिनांक– 21.02.2018 द्वारा कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बेलसंड को पत्र लिखा गया है। वांछित सूचनाएँ प्राप्त होते ही निविदा का निष्पादन कर दिया जाएगा। ब्रह्म स्थान मोड़ राजमंगल साह के घर से मकेश्वर भगत के घर तक सड़क निर्माण कार्य हेतु योजना की तकनीकी अनुमोदन कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा दिनांक– 24.06.2017 को प्रदान की जा चुकी है, परन्तु उक्त योजना मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत वार्ड सभा से चयनित नहीं है।

श्री अजीत शर्मा, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०– ज–63

प्रश्नकर्त्ता श्री अजीत शर्मा, सदस्य बिहार विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम अन्तर्गत खलीफाबाग चौक से डी०एन० सिंह रोड होते हुए स्टेशन चौक तक सड़क की स्थिति काफी दयनीय है, यदि हाँ तो सरकार उक्त पथ का कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित सड़क की प्राक्कलित राशि ₹40.61505 लाख (चालीस लाख एकसठ हजार पाँच सौ पाँच रू०) है। वर्णित सड़क के निर्माण हेतु नगर निगम, भागलपुर द्वारा निविदा निकाली जा चुकी है एवं न्यूनतम निविदा वाले चयनित संवेदक को ₹35.55354 लाख (पैंतीस लाख पच्चपन हजार तीन सौ चौवन रू०) पर दिनांक–04.07.2017 को कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। उक्त कार्य के लिए अलकतरा आपूर्ति हेतु इंडियन ऑयल को पत्र दिया गया है। कार्य अबिलम्ब प्रारंभ करा दिया जाएगा।

श्री नीरज कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न सं०–ज–76

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नीरज कुमार, सदस्य बिहार विधान सभा।	**श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग**
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत वार्ड नं०– 06, प्राथमिक विद्यालय हृदयगंज के बगल से निरंजन दत्त के घर होते हुए सुनील मंडल के घर तक तथा मुरली यादव के घर के बगल से हेम नारायण झा के घर तक की सड़क का पी०सी०सी० कार्य नहीं किया गया है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त सड़क का पी०सी०सी० करण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नगर निगम, कटिहार के वार्ड सं०– 06 में प्राथमिक विद्यालय हृदयगंज के बगल से निरंजन दत्त के घर होते हुए सुनील मंडल के घर तक तथा मुरली यादव के घर के बगल से हेम नारायण झा के घर तक ईंट सोलिंग है। नगर निगम, कटिहार के आगामी सामान्य बैठक में इस सड़क का पी०सी०सी० करण का प्रस्ताव पारित हेतु रखा जाएगा। सामान्य बैठक में पारित होने के उपरान्त निधि की उपलब्धता के आलोक में प्राथमिकता के अनुरूप नगर निगम, कटिहार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

श्री अरूण कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–ज–77

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अरूण कुमार, सदस्य, बिहार विधान सभा,	श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं0–13 में अवस्थित महावीर मंदिर के उत्तर स्थित नाला नियमित सफाई के अभाव में अतिक्रमित हो जाने के कारण भर गया है, यदि हां तो क्या सरकार महावीर मंदिर अवस्थित नाला की नियमित सफाई कराने एवं अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	आंशिक अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि यह नाला महावीर मंदिर से होकर बाईपास (विष्णुपुरी) तक विस्तारित है। कुछ लोगों द्वारा मकान बनाने के क्रम में नाले को अवरूद्ध कर दिया जाता है, जिसे प्रत्येक वर्ष नाला उड़ाही के क्रम में अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाता है। इस वर्ष भी अतिक्रमण हटाते हुए उड़ाही करा दी जायेगी।

श्री संजय कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०– ज–70

प्रश्नकर्त्ता श्री संजय कुमार सिंह, सदस्य बिहार विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के विक्रमगंज प्रखंड मुख्यालय से चारों तरफ डेहरी ऑन–सोन, सासाराम, आरा, बक्सर एवं पटना के लिये यात्री वाहनों का आवागमन होता है, परन्तु बस स्टैण्ड नहीं रहने के कारण यात्री वाहन का सड़क पर ही ठहराव होने के चलते जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त प्रखंड मुख्यालय में कबतक बस स्टैंड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नगर पंचायत, विक्रमगंज में सड़क के किनारे बस स्टैंड निर्माण हेतु विवाद रहित सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, विक्रमगंज के पत्रांक– 2892, दिनांक– 20.11.2017 द्वारा अंचल अधिकारी, विक्रमगंज से जमीन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। जमीन उपलब्ध होने के पश्चात बस स्टैंड के निर्माण के संबंध में नगर पंचायत, विक्रमगंज द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

श्री राम विशुन सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त
तारांकित प्रश्न सं०–ज०– 71

प्रश्नकर्त्ता श्री राम विशुन सिंह सदस्य, बिहार विधान सभा	उत्तरदाता श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा की करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर नगर पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर मुख्य पार्षद, जगदीशपुर एवं प्रधान सहायक द्वारा फर्जी हस्ताक्षर एवं अगुठे का निशान बनाकर वृद्धा पेंशन की राशि का गबन किया गया है तथा प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर आयुक्त पटना के जॉच के आदेश के फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर के अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम ने दोषी पाते हुए पत्रांक– 1282 दिनांक– 23.12.16 को जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है परन्तु अभि तक संलिप्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई नही किया गया है, यदि हॉ तो इसका क्या औचित्य है ?	1. अस्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक– 220 दिनांक– 24.01.17 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर के पत्रांक– 1282 दिनांक– 23.12.16 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित सभी दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। विभाग द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक– 24 दिनांक– 08.01.18 द्वारा नगर पंचायत, जगदीशपुर के दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश जिला पदाधिकारी, भोजपुर को दिया गया साथ ही विभागीय पत्रांक– 25 दिनांक– 08.01.18 द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर से जॉच प्रतिवेदन में पायी गयी विसंगतियों को देखते हुए एक जॉच दल गठित कर मामले की पुनः जॉच कराने का अनुरोध किया गया है। जिला पदाधिकारी भोजपुर के पत्रांक– 514 दिनांक– 10.02.18 द्वारा प्राप्त अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर के प्रतिवेदन के अनुसार श्री राम इकबाल प्रसाद, प्रधान सहायक तथा श्री देवलाल राम, टैक्स दारोगा द्वारा अवशेष राशि 4489900.00 रूपये प्रखंड कार्यालय जगदीशपुर को लौटा दी गयी है। साथ ही जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक– 502 दिनांक– 09.02.18 द्वारा श्री देव लाल राम के मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप श्री राम इकबाल प्रसाद, प्रधान सहायक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर को निदेशित किया गया है। जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर से स्पष्टीकरण की मांग किया गया है।

डॉ० सी०एन० गुप्ता, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ज–80

प्रश्नकर्त्ता डॉ० सी०एन० गुप्ता, सदस्य बिहार विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1) क्या यह बात सही है कि छपरा नगर निगम में स्थित मौना मिश्र टोली नाला जाम होने के कारण नाला का पानी सड़क पर बह रहा है, जिसके कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नाला का निर्माण एवं साफ–सफाई कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि छपरा नगर निगम में स्थित मौना मिश्र टोली नाला जाम होने के कारण नाले का पानी का बहाव अवरूद्ध हो जाता है। नगर निगम, छपरा द्वारा वर्णित नाले की नियमित सफाई करायी जाती है, किन्तु कहीं–कहीं क्रॉस ड्रेन होने के कारण वहाँ पॉलथीन इत्यादि से जाम होने के फलस्वरूप पानी का बहाव अवरूद्ध होने पर पानी का फैलाव होता है, जिसकी सूचना मिलते हीं नगर निगम, छपरा द्वारा नाले की सफाई करा दी जाती है। वर्तमान में नाला से पानी का बहाव सामान्य रूप से हो रहा है।

श्री रामबालक सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ज–82

प्रश्नकर्त्ता श्री रामबालक सिंह, सदस्य बिहार विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर के बैक हार्डिंग रोड, चितकोहरा ओभर ब्रीज से 15 नम्बर ओभरब्रीज तक वर्ष 2012 में स्ट्रीट लाईट लगाया गया था, जो वर्ष 2015 से जलना बंद हो गया है, जिससे आम लोगों को रात्रि में आने–जाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त खराब लाईट को कबतक बदलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में सभी नगर निकायों में भारत सरकार के उपक्रम EESL के माध्यम से LED स्ट्रीट लाईट लगाए जाने हेतु विभाग द्वारा MOU हस्ताक्षरित किया गया है। नगर निगम एवं नगर परिषद् द्वारा EESL के बीच सर्विस लेवल एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया जा चुका है। नगर निगमों एवं नगर परिषदों में तत्काल सर्वे का कार्य EESL एवं नगर निकायों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तत्पश्चात् परम्परागत लाईट को LED लाईट से बदला जाएगा। जहाँ पोल हैं परन्तु लाईट नहीं है, वहाँ नए LED लाईट लगाए जाएंगे तथा जहाँ पोल भी नहीं है और लाईट की आवश्यकता है वहाँ पोल सहित LED लाईट EESL द्वारा लगाया जाएगा। 31 मार्च, 2019 तक सभी नगर निकायों में LED स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन करने का लक्ष्य EESL को दिया गया है। नगर निगम, पटना द्वारा EESL के साथ एकरारनामा किया जा चुका है। शीघ्र ही वर्णित पथों पर समुचित लाईट की व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री श्याम रजक, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न सं०–ज–45

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री श्याम रजक, **सदस्य बिहार विधान सभा।**	**श्री सुरेश कुमार शर्मा,** **माननीय मंत्री,** **नगर विकास एवं आवास विभाग**
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1) क्या यह बात सही है कि पटना बाईपास के दक्षिण वार्ड नं०–32 के जगनपुरा अंडरपास से बादशाही पईन तक प्रस्तावित आर०सी०सी० बॉक्स नाला का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है;	(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय राज्यादेश सं०– 129, दिनांक– 08.03.2018 एवं आवंटनादेश सं०– 130 दिनांक– 08.03.2018 द्वारा वर्णित आर०सी०सी० बॉक्स नाला निर्माण हेतु ₹298.66 लाख (दो करोड़ अनठानवे लाख छियासठ हजार रू०) की स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹74.665 लाख (चौहत्तर लाख छियासठ हजार पाँच सौ रू०) आवंटित की जा चुकी है। शीघ्र ही नगर निगम, पटना द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
(2) क्या यह बात सही है कि पटना के बेऊर मोड़ से लेकर नन्दलाल छपड़ा तक नाला निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है, जबकि राजधानी के एक बड़े इलाके यथा– वार्ड नं०–32 को जल जमाव से बचाने के लिए उपरोक्त निर्माण की योजना बनाई गई है, यदि हॉं तो इसका क्या औचित्य है तथा सरकार कबतक इस योजना का पूर्ण कराने का विचार रखती है?	(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प–108, दिनांक– 17.01.2018 द्वारा AMRUT योजना के अन्तर्गत पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बेउर मोड़ से मीठापुर बस स्ट्रैंड–स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी प्राक्कलित राशि ₹4894.99 लाख (अड़तालीस करोड़ चौरानवे लाख निनानवे हजार रू०) है। योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य जल पर्षद को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है, जिसके द्वारा निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जा चुकी है। मीठापुर से नन्दलाल छपरा तक NHAI द्वारा नाला निर्माण कराया जा रहा है।

श्री मदन मोहन तिवारी, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०—ज—73

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मदन मोहन तिवारी, सदस्य बिहार विधान सभा।	**श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग**
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—	
(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया के बड़ा रमना (मैदान) का सौन्दर्यीकरण एवं विकास अब तक नहीं हो सका है, यदि हाँ तो सरकार उक्त बड़ा रमना (मैदान) का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कबतक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय राज्यादेश सं०— 71, दिनांक— 18.02.2014 आवंटनादेश सं०— 97, दिनांक— 18.02.2014 द्वारा रमना मैदान के समतलीकरण, चहारदीवारी एवं ट्रैक के निर्माण हेतु ₹200.00 लाख (दो करोड़ रू०) स्वीकृत एवं आवंटित करते हुए जिला शहरी विकास अभिकरण, बेतिया को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया था। कार्यकारी एजेंसी द्वारा रमना मैदान का सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी प्राक्कलित राशि ₹110.57110 लाख (एक करोड़ दस लाख संतावन हजार एक सौ दस रू०) है। लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त मैदान के विकास हेतु कराये गये कार्यों की जाँच/निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी द्वारा दिनांक— 05.02.2018 को किया गया है। जाँच/निरीक्षण प्रतिवेदन में रमना मैदान के समग्र विकास के संबंध में कतिपय सुझाव दिया गया है। उक्त सुझाव के आलोक में प्राक्कलन तैयार कर नगर निकाय बोर्ड से सहमति प्राप्त करते हुए उपलब्ध कराने का निदेश विभागीय पत्रांक— 767, दिनांक— 08.02.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बेतिया को दिया गया है। जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा उक्त कराये गये कार्य की जाँच कराया जा रहा है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत जिला शहरी विकास अभिकरण, बेतिया द्वारा अवशेष कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। विभागीय निदेश के आलोक में प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात निधि की उपलब्धता के आलोक में रमना मैदान, बेतिया के समग्र विकास योजना की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

श्रीमती रेखा देवी, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न सं०–ज–79

प्रश्नकर्त्ता **श्रीमती रेखा देवी,** **सदस्य बिहार विधान सभा।**	उत्तरदाता **श्री सुरेश कुमार शर्मा,** **माननीय मंत्री,** **नगर विकास एवं आवास विभाग**
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी प्रखंड के मसौढ़ी नगर परिषद् के संत मैरी स्कूल होते हुए मणिचक तालाब तक का सड़क अत्यंत जर्जर अवस्था में है और सालों भर जहाँ–तहाँ नाली का पानी लगा रहता है, यदि हाँ तो सरकार उपरोक्त वर्णित पथों का पी०सी०सी० कराते हुए नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि नगर परिषद्, मसौढ़ी क्षेत्रान्तर्गत संत मेरी स्कूल होते हुए मणिचक तालाब तक सड़क की मरम्मती हेतु नगर परिषद्, मसौढ़ी द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, जिसे निकाय बोर्ड की बैठक से पारित कराकर निधि की उपलब्धता के आलोक में नगर परिषद्, मसौढ़ी द्वारा कार्य करा दिया जाएगा। प्रश्न में वर्णित स्थल पर बरसात के दिनों में कहीं–कहीं पानी लग जाता है, किन्तु सालों भर नाली का पानी नही लगा रहता है। नगर परिषद्, मसौढ़ी सहित राज्य के सभी नगर निकायों में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु Outfall नाला प्रस्ताव सभी नगर निकायों से माँगा गया था। नगर परिषद्, मसौढ़ी द्वारा प्रश्न में वर्णित स्थल सहित कुल तीन Outfall नालों का प्राक्कलन विभाग को उपलब्ध कराया गया था, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि ₹685.385 लाख (छः करोड़ पचासी लाख अड़तीस हजार पाँच सौ रू०) है। राशि की उपलब्धता के अलोक में प्रथम चरण में उक्त योजनाओं में से क्रमांक– 1 पर अंकित ₹310.968 लाख (तीन करोड़ दस लाख छियानवे हजार आठ सौ रू०) मात्र की एक योजना की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सं०–127, दिनांक– 07.03.2018 एवं आवंटनादेश सं०– 128, दिनांक– 07.03.2018 द्वारा प्रदान करते हुए तत्काल ₹77.742 लाख आवंटित किया जा चुका है। अगामी वित्तीय वर्षों में निधि की उपलब्धता के आलोक में शेष 02 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2018 पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ज0–67 का उत्तर सामग्री।

प्रश्नकर्त्ता **श्री उमेश सिंह कुशवाहा,** सदस्य बिहार विधान सभा	उत्तरदाता श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग,
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड का लोहियानगर, पटना स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–के0सी0 1 के सटे दक्षिण में 1080 वर्ग फीट का भूखण्ड आवंटित है, जिसपर अवैध कब्जा बना हुआ है,	(1) स्वीकारात्मक है।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आवंटित भूखण्ड के आवंटन हेतु कई आवेदकों द्वारा वर्ष–1999 से ही आवेदन किया जा रहा है जिस क्रम में बोर्ड की 230वीं बैठक दिनांक–12.01.2009 को निर्धारित की गयी, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका,	(2) 1080 वर्गफीट अतिरिक्त भूखण्ड का आवंटन कराने हेतु वर्ष 1999 में मात्र एक आवेदक श्री जगेश्वर प्रसाद जो भूखंड सं0–के0सी0–1 के मूल आवंटी हैं, जिनके द्वारा आवेदन दिया गया है। जिसे बोर्ड की 230वीं बैठक, दिनांक–12.01.2009 की कार्यावली संख्या–18 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त आवंटित भूखण्ड को अवैध कब्जा से मुक्ति कराते हुए नियमानुसार योग्य आवेदक को आवंटित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	(3) उक्त 1080 वर्ग फीट अनावंटित अतिरिक्त भूखण्ड को अवैध कब्जा से मुक्त कराने हेतु प्रभारी अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है तथा अतिक्रमणमुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। भूखण्ड का आवंटन बोर्ड की प्रावधानों के तहत प्रक्रियाधीन है।

श्री मो0 नेमातुल्लाह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– ज–64

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मो0 नेमातुल्लाह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा	**श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग**
(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर के दानापुर नगर परिषद् के वार्ड नं0–12 में मंगलम पथ पर स्थित जगत लाल के मकान एवं सुदामा के0के0 इनक्लेव के बीच से पश्चिमी जजेज कॉलोनी रोड नं0–4 जाने वाली सड़क पर ओम प्रभात अपार्टमेन्ट एवं इसके दक्षिण 4 तल्ला अपार्टमेन्ट का निर्माण निर्धारित तय मानक के विपरीत किया गया है?	(1) आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त अपार्टमेन्ट का निर्माण प्रथम दृष्टया तय मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। निर्माण के अन्य विन्दुओं पर विस्तृत जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित सड़क के प्रवेश मार्ग पर सड़क की चौड़ाई 15 फीट से भी कम है एवं उक्त अपार्टमेन्ट बिल्डर के द्वारा एक साल से सड़क पर अवैध निर्माण कर सड़क को पूर्ण रूपेण बन्द कर दिया गया है?	(2) आंशिक स्वीकारात्मक। नगर अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार उक्त सड़क की चौड़ाई प्रवेश मार्ग पर लगभग 15 फीट 3 इंच है। ओम प्रभात अपार्टमेन्ट के दक्षिण निर्माणाधीन चार तल्ला अपार्टमेन्ट से संबंधित बिल्डर श्री सिकन्दर कुमार के कथनानुसार उक्त सड़क उनकी निजी जमीन में है। अतः उनके द्वारा सड़क पूर्ण रूपेण बन्द कर दिया गया है। इसकी विस्तृत जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी/सक्षम पदाधिकारी को कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जायेगी।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त मामले की जाँच कराकर इस सड़क पर कबतक आवागमन सुचारू रूप से कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	(3) उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जाँच/सुनवाई उपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में विभाग के पत्रांक–565 दिनांक–13.03.2018 द्वारा नियमानुसार कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु दानापुर नगर परिषद् को निदेश दिया गया है।